कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा,
जिला–जाँजगीर चाम्पा (छ.ग.) पिनकोड 495661

मोबाईल नं. 9479218010, **AISHE C- 63331** **Email id:** birracollege@gmail.com , www.gncbirra.in

–: सूचना :–

दिनांक : 09.10.2023

शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा में अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा " **छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना** " का क्रियान्वयन किया जा रहा है , महाविद्यालय में पढने वाले विद्यार्थी को घर से महाविद्यालय और महाविद्यालय से घर आने–जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अतः इच्छुक छात्र/छात्राएं निःशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ लेने हेतु नियमित छात्र/छात्राएं वेबसाइट http://cmbuspass.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करें।

नोट :– योजना से संबंधित अन्य निर्देश महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

09/10/2023

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा

प्राचार्य
शास. नवीन महाविद्यालय बिर्रा
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा संबंधी निर्देश

प्रदेश में संचालित राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्थानीय विद्यार्थियों के साथ–साथ समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थी प्रवेश लेते है। ऐसे विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 05 से 30 किमी. की दूरी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पंहुचने के लिये तय करना होता है। जो विद्यार्थी उक्त परिवहन व्यय का आर्थिक भार वहन करने में असमर्थ होते है वे नियमित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन शिक्षा बीच में ही छोड देते है। अतः विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पूर्ण करने में सहायता करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आने–जाने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ किया जा रहा है।

1. <u>योजना के लाभार्थी</u> :–

1.1 छ.ग. राज्य में संचालित समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होगें।

2. <u>परिवहन सुविधा का स्वरूप</u> :–

2.1. विद्यार्थियों को केवल उन्हीं बस रूट के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी जिन पर राज्य परिवहन प्राधिकार एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से जारी मंजिली यात्री बस (साधारण श्रेणी) एवं सीटी बस संचालित हो।

2.2 विद्यार्थियों को उनके निवास स्थान से प्रतिदिन विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय आने–जाने के लिये निवास स्थान के निकटतम बस स्टाप से विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के निकटतम बस स्टॉप तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान की जावेगी। इस सुविधा का लाभ अधिकतम 50 कि.मी. की दूरी तक ही देय होगा।

2.3 विद्यार्थियों को उक्त निःशुल्क सुविधा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संचालन दिवसों पर 01 बार निवास स्थान से विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय जाने एवं विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से वापस निवास स्थान आने के लिए प्राप्त होगी।

3. <u>आवेदन की प्रकिया</u> :–

3.1 विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय आने–जाने के लिये निःशुल्क बस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये इच्छुक नियमित विद्यार्थी को योजना से संबंधित पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन कुलसचिव/प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा।

3.2 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों का पोर्टल के माध्यम से ही परीक्षण करके विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।

3.3 सभी पात्र विद्यार्थियों को उनके बस रूट के अनुसार "परिवहन–कार्ड" पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर हार्डकॉपी अथवा मोबाईल पर रखने की व्यवस्था की जायेगी।

3.4 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में परिवहन सुविधा हेतु इच्छुक विद्यार्थियों की बस रूट अनुसार तैयार की गई सूची को संबंधित बस संचालक को कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा भेजा जायेगा।

3.5 उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल के साथ–साथ चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय द्वारा एक एप्प का भी निर्माण किया जायेगा। निःशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित बस रूट की बस में प्रवेश करने पर संबंधित बस के कंडक्टर (अथवा अन्य अधिकृत स्टाफ) द्वारा एप्प के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदत्त **"परिवहन–कार्ड"** को स्कैन करके उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

3.6 निःशुल्क परिवहन सुविधा देने वाले बस संचालक एवं निर्धारित बस रूट का डेटाबेस परिवहन विभाग द्वारा एवं राज्य में संचालित राजकीय विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों की सूची उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय द्वारा योजना के संचालन हेतु विकसित किये जा रहे पोर्टल एवं एप्प के लिए उपरोक्त दोनों कार्यालयों से प्राप्त जानकारी का ही उपयोग किया जायेगा।

3.7 योजना अंतर्गत भुगतान हेतु आवश्यक बस किराये की दरों के लिए परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी बस किराया की दरों संबंधी अधिसूचना का उपयोग किया जायेगा।

4. <u>भुगतान की प्रकिया</u> :–

4.1 चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय द्वारा तैयार किए गए पोर्टल में भी डेटाबेस के लिए छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी बस किराया दरों का उपयोग किया जावेगा। पोर्टल के माध्यम से उक्त किराया दरों एवं विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर ऑटोजनरेटेड मासिक देयक तैयार करने की व्यवस्था की जायेगी।

4.2 प्रत्येक बस संचालक द्वारा पोर्टल के माध्यम से मासिक देयक तैयार करके भुगतान हेतु संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कुलसचिव/प्राचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।

4.3 विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं महाविद्यालय के प्राचार्य, बस संचालक द्वारा प्रस्तुत देयक की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान बस संचालक को करेंगे एवं देयक के 50 प्रतिशत राशि की छूट बस संचालक द्वारा दी जायेगी।

4.4 उक्त योजना को लागू करने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही/प्रावधान किया जायेगा।

4.5 विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय आने एवं वापिस जाने के लिये अलग–अलग बस संचालकों की बस का उपयोग करने की स्थिति में केवल एक तरफ की किराये की पात्रता होगी। बस संचालक द्वारा प्रस्तुत देयक का परीक्षण कर कोषालय से देयक का आहरण कर भुगतान की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा की जावेगी।

4.6 योजना से संबंधित पात्र विद्यार्थियों का चयन, बस संचालकों द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक एवं उनके भुगतान संबंधी वाउचर इत्यादि समस्त अभिलेखों के विधिवत संधारण की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

4.7 योजना के संचालन हेतु विकसित पोर्टल की जानकारी एवं पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भरने के संबंध में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने तथा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति को प्राप्त मासिक देयकों से सत्यापन करने संबंधी कार्यो के लिए कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा किसी प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा उसके सहयोग के लिए लिपिकीय स्टाफ को भी अधिकृत किया जायेगा।

5. आबंटन की व्यवस्था :—

उक्त योजना के कियान्वयन हेतु आबंटन की व्यवस्था हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन बजट शीर्ष खोलते हुए नवीन मद में प्रावधान कराने की कार्यवाही की जायेगी। बजट में प्रावधानित राशि से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मांग पत्र अनुसार आबंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

6. पोर्टल एवं एप्प का निर्माण :—

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय के सहयोग से पोर्टल एवं एप्प का निर्माण किया जायेगा। इस संबंध में चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस कार्य पर होने वाले व्यय का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियमानुसार चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय को किया जायेगा।

7. समन्वय :—

योजना के सूचारू क्रियान्वयन हेतु संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परिवहन कार्यालय, चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय एवं समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के मध्य समन्वय का कार्य किया जायेगा। इस हेतु तीनों कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। योजना क्रियान्वयन संबंधी किसी भी प्रकार के अवरोध को दूर करने हेतु तीनों कार्यालय द्वारा बैठक करके समाधान प्रस्तावित किया जावेगा।

योजना के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा परिवहन विभाग एवं चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रोमोशन सोसायटी) कार्यालय से विचार—विमर्श कर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु समय—समय पर मार्गदर्शन जारी किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा।